रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 1970/आषाढ़ 11, 1892

No. 125] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 1970/ASADHA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 2nd July 1970

G.S.R. 1001.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Baggage Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Baggage (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Baggage Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), after the proviso to rule 3, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that in the case of an air passenger who travels on a free or concessional ticket and returns to India after staying outside India for less than a week, articles upto a value of Rs. 75 in the case of such adult passenger or Rs. 18.75 in the case of such passenger below 18 years of age, may only be allowed to be imported free of duty for each day's stay outside India

Explanation.—For the purposes of this rule, 'concessional ticket' means a ticket issued after allowing a concession of 75 per cent or more".

3. In rule 5 of the said rules, for the words and figure "A Passenger satisfying the condition of residence prescribed in rule 4", the words "A passenger who has resided abroad in one country for over three months" shall be substituted.

[No. 66-Customs/F. No. 5/20/70-Cus.VI.]

N. K. BAJPAI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1970

सा० का० नि० 1001.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सामान नियम, 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम सामान (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सामान नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तुक यह और भी कि किसी ऐसे वायु यात्री की दशा में जो निःशुल्क या रियायती टिकट पर यात्रा करता है और भारत से बाहर एक सप्ताह से कम ठहरने के पश्चात् भारत वापस लौटता है, ऐसे वयस्थ यात्री की दशा में केवल 75.00 रुपये तक के मूल्य की या 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे यात्री की दशा में केवल 18.75 रु० की वस्तुओं को भारत से बाहर प्रत्येक दिन के ठहरने के लिए निःशुल्क आयात करने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "रियायती टिकट" से ऐसा टिकट अभिप्रेत है जो 75 प्रतिशत या अधिक की रियायत अनुज्ञात करने के पश्चात् जारी किया गया है।

3. उक्त नियम के नियम 5 में "नियम 4 में विहित निवास की शर्त को पूरा करने वाले यात्रियों को उपयोग में लाए गए ऐसे यंत्रों, उपकरणों या साधित्रों को जो उनके द्वारा "शब्दों और अंकों के स्थान पर" जिस यात्री ने विदेश में एक ही देश में तीन मास से अधिक निवास किया है उसको उपयोग में लाए गए ऐसे यंत्रों, उपकरणों या साधित्रों को, जो उसके द्वारा "शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[सं० 66–सीमाशुल्क/फा० सं० 5/20/70–सी० शु०]

नरेन्द्र कुमार वाजपेयी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970